न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 67/2020 निर्णय दिनांक :– 31.8.20

उनवान

1 राजस्थान सरकार जरिये –तहसीलदार तहसील चाकसू कार्यालय चाकसू जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. कमरूद्दीन पुत्र चांद खां हि 22/145 जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 4 कस्बा चाकसू।
2. फातिमा बेगम पत्नि कमरूद्दीन हिस्सा 123/145 जाति मुसलमान निवासी वार्ड न.0 कस्बा चाकसू।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पेरो तहसीलदार चाकसू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील चाकसू पटवार मण्डल बडली ग्राम रामपुरा बुजुर्ग के आराजी खसरा नं0 824/1, 826 किता 2 रकबा 1.45 है0 किस्म बारानी 2 की भूमि कमरूद्दीन पुत्र चांद खां हिस्सा 22/145 जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 04 कस्बा चाकसू फातिमा बेगम पत्नि कमरूद्दीन हिस्सा 123/145 जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं.

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

कस्बा चाकसू के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी जमाबंदी सम्वत 2073–76 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बडली के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 824/1, 826 किता 2 1.45 है0 किस्म बारानी 2 कृषि भूमि सम्पूर्ण भूमि मे प्लॉटिंग की हुई है, डामर रोड ग्रेवल रोड डाला हुआ है। मुड्डिया गाडकल कॉलोनी काटी हुई है तथा अकृषि उपयोग में ली जा रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त भूमि कृषि प्रयोजन हेतु होती है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना संपरिवर्तन कराये उक्त खसरा नं0 का आवासीय कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरूद्ध है। खसरा नं. 824/1, 826 किता 2 रकबा 1.45 है0 किस्म बारानी 2 भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। प्रथम दृष्टया केश व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में संभव नही है। श्रीमान को प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार है। राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातोर काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम के ख.न 824/1, 826 किता 2 रकबा 1.45 है0 किस्म बारानी 2 की खातेदारी अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

समाप्त किये जाकर उक्त ख0न0 रकबा सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जेराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र पैरोकार सरकार द्वारा 177 के तहत पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी तो अप्रार्थीगण की तरफ से दिनांक 10.08.2020 को श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया गया व जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश किया गया जो जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 01 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 02 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 03 में वर्णित तथ्य भी गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 04 में वर्णित तथ्य भी गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 05, 06 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। उक्त प्रकरण तहसीलदार महोदय ने सिर्फ और सिर्फ पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बडे ही राजनैतिक दुराशय पूर्ण मिथ्या आधारों पर आनन फानन मे दिनांक 21.07.2020 की पटवारी रिपोर्ट है तथा दिनांक 22.07.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र के प्रार्थी के खिलाफ पेश कर दिया जाता है जो मशीनी अंदाज में अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिये बिना बेबुनियाद आधारों पर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण मे तहसीलदार महोदय द्वारा मोका नहीं देखा गया कानूनन पटवारी साईट इंपेक्शन के लिये सक्षम नही है कम से कम एल.आर लेवल का राजस्व कार्मि साईट इंपेक्शन कर सकता है सिर्फ और सिर्फ पटवारी रिर्पोट के बेश पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी को डवलप करने के इरादे से सक्षम अधिकारिता वाले विभाग के समक्ष अपनी उक्त आराजी के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन कर रखा है जिस पर नगर पालिका द्वारा आम सूचना भू–परिवर्तन करने हेतु आपत्ति बाबत् प्रकाशित करवा दी गइ है उसी कडी में अप्रार्थीगण ने भू–उपयोग परिवर्तन राशि 86,710/– रूपये बतौर राजस्व नगर पालिका मण्डल चाकसू में जमा करवा चुके है इस प्रकार अप्रार्थीगण ने भू–परिवर्तन उपयोग हेतु राशि राज्य सरकार मे जमा करवा दी है जिससे अब राज्य सरकार को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नही हो रही है तथा अप्रार्थीगण पर मिथ्या आरोप लगाये जाकर राजनैतिक द्वेशता का शिकार होकर मनमाने तरीके से उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य हैं । प्रकरण में साईट इंपेक्शन के समय अप्रार्थीगण को मौके पर नहीं बुलाया गया, ना ही उनको सूचना दी गई और ना ही कोई स्वतंत्र गवाह हल्का पटवारी ने वरवक्त मौका रिपोर्ट हस्ताक्षर करवाये, ना जाने कौनसी जगह का साईट इंपेक्शन कर उक्त विवाद को अप्रार्थीगण की जमीन से जोड दिया जो प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोण के विपरित है जिसका सत्यता से कोई संबध व सरोकार नही है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि बेबुनियाद व मनगढत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण के खिलाफ जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वो खारिज फरमाने की कृपा करे जो न्यायहित में न्यायोचित है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस वकील अप्रार्थी की सुनी गयी तो जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि अप्राथीगण द्वारा अपनी आराजी को डवलप करने के इरादे

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

से सक्षम अधिकारिता वाले विभाग के समक्ष उक्त आराजी के भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन कर रखा है जिस पर नगरपालिका द्वारा आम सूचना भू परिवर्तन करने हेतु आपत्ति प्रकाशित करवा दी गई है। अप्रार्थीगण ने भू–उपयोग परिवर्तन राशि 86710/– रूपये बतौर राजस्व नगर पालिका मण्डल जमा करवा चुके है, जिससे अब राज्य सरकार को किसी प्रकार की क्षति नही हो रही है, प्रार्थना पत्र गलत तथ्य के आधार पर पेश किये गये है जो खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थीगण ने जवाब के समर्थन में भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र आम सूचना नोटिस, अखबार की प्रति, आय सूचना नगरपालिका चाकसू/2016 क.भू.अ.शा/13 दिनांक 03.02.2016 राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र/ न.पा.चा 2016/160 दिनांक 18.01.2016 बैक मे जमा राशि की प्रति 86710/– नगरपालिका की प्राप्ति रसीद 86710/– के दस्तावेज बतौर सबुत पेश किये गये । वकील अप्रार्थी की बहस पर गोर किया व प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र एवमं प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ख.न 824/1, रकबा 0.55 है0, 826 रकबा 0.90 है0 किता 2 रकबा 1.45 है0, भूमि रामपुरा बुजर्ग तहसील चाकसू नगर पालिका क्षेत्र मे होने से दिनांक 14.01.2016 को कृषि से अकृषि प्रयोजनाथ प्रार्थना पत्र पेश किया गया, प्रार्थना पत्र पेश होने पर नगरपालिका चाकसू द्वारा वादग्रस्त भूमि को अकृषि में परिवर्तन करने हेतु 03.02.2016 को आपत्ति पेश किये जाने बाबत् आम सूचना जरी की व दिनांक 08.02.2016 को अखबार से निकालवाया गया। नगरपालिका द्वारा भू उपयोग परिवर्तन की रशि जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

मांग पत्र दिया गया जिसकी पालना में अप्रार्थीगण द्वारा भू परिवर्तन कराने हेतु 86710/– नगरपालिका चाकसू में रसीद न. 2889 दिनांक 29.01.2016 को जमा करवाये गये। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को परिवर्तन कराने हेतु सक्षम अधिकारी के यहॉ नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश किया गया व परिवर्तन राशि 86710/– रूपये जमा कराये जाकर वादग्रस्त भूमि को आवासीय कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है जिससे किसी भी प्रकार से राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 का उल्लघन नही किया जा रहा है न ही अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को क्षति हुई। तहसीलदार (पैरोकार) सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्ण रूपेण साबित नही कर पाने एवमं अप्रार्थीगण द्वारा भूपरिवर्तन की कार्यवाही नियमानुसार किये जाने उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 177 का खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 177 का साबित नही कर पाने एवमं अप्रार्थीगण द्वारा भूपरिवर्तन करने की कार्यवाही नियमानुसार किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 177 का खारिज किया जाता है व अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वो भूपरिवर्तन की कार्यवाही शीघ्र निस्तारण करावें। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू